कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) हरदोई

पत्रांक 156 / डूडा / आई0एल0सी0एस0 / 2005–06 दिनांक 31-12-2005

कार्यालय आदेश

सफाई कर्मचारी नियोजन शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के अधीन नगरीय क्षेत्रों के शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराकर स्वच्छकारों को पुर्नवासित कराये जाने का प्राविधान है। सूडा द्वारा योजना को गति प्रदान करने व शौचालय रहित तथा शुष्क शौचालय धारक भवन स्वामियों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराने हेतु एवं कुप्रथा से विमुक्त हुए स्वच्छकारों के पुर्नवासन में सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से गैर सरकारी संस्थाओं को डूडा में जनपद स्तर पंजीकृत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

सूडा के पत्रांक 1935 / 69 / नौ / एन0पी0एस0 / 2001–02 vii दिनांक 13 अक्टूबर 2005 के अनुपालन में निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थाओं को जिलाधिकारी / अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.2005 के क्रम में पंजीकृत किया जाता है।

संस्था का नाम : जन कल्याण परिषद, उ0प्र0 80/5 साइट-1 किदवई नगर कानपुर।

उपरोक्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 10-1-06 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हों। चयनित संस्थाओं को आई0एल0सी0एस0 के अन्तर्गत शुष्क शौचालय धारकों को जल प्रवाहित शौचालयों मे परिवर्तित कराने हेतु पंजीकृत कराने, शौचालय परिवर्तित कराने, लाभार्थियों को अनुदान अवमुक्त कराने तथा विमुक्त हुए स्वच्छकारों को पुर्नवासित कराने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। गैर सरकारी संस्था / आवंटित वार्ड / नगर में ही कार्य करने हेतु अधिकृत होगी। यदि किसी अन्य संस्था के क्षेत्र में शौचालय परिवर्तित कराते पाया जाये तो पंजीकरण संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसी संस्था की सूचना जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय हरदोई में दे तथा सी0डी0एस0 भी अपने नगर में शौचालय परिवर्तित कराने हेतु अधिकृत होगी। पंजीकृत संस्थाओं एवं सी0डी0एस0 को सूडा के निर्देशानुसार निर्धारित मानदेय प्रति इकाई रू0 50/– तथा प्रति स्वच्छकार को रोजगार स्थापित कराने पर रू0 50/– दिया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु सूडा द्वारा निर्धारित नियम / शर्तें साथ में संलग्न की जा रही हैं, जिसके अनुसार आप कार्य कराने हेतु प्रतिबन्धित हैं।

कृपया अविलम्ब नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मल्लावाँ के वार्ड सं0 10 से 16 सम्बन्धित नगर निकाय / डूडा से सूची प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण
डूडा – हरदोई

पत्रांक दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सादर अवलोकनार्थ / सूचनार्थ प्रेषित –

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष डूडा हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक डूडा, हरदोई।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मल्लावाँ जनपद हरदोई।

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण
डूडा – हरदोई

आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत सूडा द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश / शर्तें

1. आई0एल0सी0एस0 की भारत सरकार की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यूनिटों का निर्माण यू0एन0डी0पी0 की निर्धारित डिजाईन एवं ड्राइंग के अनुसार ही करायें। (ड्राइंग सलंग्न)।
2. ई0डब्ल्यू0एस0 लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्राप्त कर, पंजीकरण फार्म के साथ लगायें, अपितु अनुदान राशि निर्गत नहीं की जायेगी।
3. शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन उपरान्त लाभार्थी शौचालय के साथ फोटो प्राप्त कर फार्म पर चस्पा करायें।
4. भूमिगत जल (हैण्ड पम्प, कुँआ) आदि तथा दिवारों की नीवों से 3 मीटर की दूरी पर लीच पिट बनवायें।
5. प्रत्येक एन0जी0ओ0 अपने-अपने वार्डो / क्षेत्रों का नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें लाभार्थियों का पूर्ण विवरण, यथा क्रमांक नाम, पिता / पति का नाम, पता, जाति, शौचालय निर्माण की तिथि आदि होना चाहिये।
6. शौचालय परिवर्तन में लीच पिट ईटों का ही निर्धारित डिजाईन के अनुसार तैयार करवाये, ईटों के अन्तर्गत आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप / अन्य विकल्प अनुचित है। यदि ईटों के अतिरिक्त लीच पिट पाया गया तो अनुदान राशि निर्गत नहीं की जायेगी।
7. अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे भवन स्वामी के यहॉ भूमि कम उपलब्ध होना अथवा पेयजल तथा भवन की दीवारों को हानि से बचाने के लिए गोलाकार लीच पिट के स्थान पर अन्य प्रकार की लीच पिट / ब्रिक्स की बनवाई जा सकती है परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि लीचिंग एरिया किसी भी प्रकार गोलाकार लीच पिट से कम नहीं होना चाहिए।

अतः उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन गम्भीरता एवं सख्ती से सुनिश्चित करें, यदि इसमें कोई लापरवाही पायी गयी तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित एन0जी0ओ0 का होगा।

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण
डूडा – हरदोई